

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग—1  
संख्या—३७३५/९-१-२०२२-०५ आरो/२२  
लखनऊ: दिनांक ०१ नवम्बर, २०२२

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-२ सन् 1959) की धारा-७ की उप धारा-(1), (3), और (4) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप नगर निगम अयोध्या, जनपद अयोध्या के कक्षों को पार्षद पद हेतु अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित/आवंटित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-७ की उपधारा (५) के खण्ड-(३) की व्यवस्थानुसार आपत्तियों प्राप्त करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हो, जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, सात दिवस के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी।

  
(अमृत अभिजात)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक—

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक ०१ नवम्बर, २०२२ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-४, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी २० प्रतियों शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

  
आज्ञा से,


  
(सुनील कुमार चौधरी)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) उ०प्र० लखनऊ।
२. मण्ड्युक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
३. जिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को संबंधित जिले में व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायें एवं जिलाधिकारी कार्यालय तथा नगर निगम कार्यालय के सूचना पट पर चर्चा भी कराने हेतु निर्देशित करें। अधिसूचना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर निर्धारित अवधि समाप्त होने के अगले दिवस को अपात्तियों पर सम्यक विचार कर उनका युक्तियुक्त निस्तारण कराते हुए निस्तारण आदेश की प्रति सहित (आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए) आख्या/प्रस्ताव शासन को ई-मेल आई.डी.—so.nagarvikassec1@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
४. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
५. संबंधित निकाय (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)।
६. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
आज्ञा से,

  
(सुनील कुमार चौधरी )  
विशेष सचिव।

अनुसूची		
नगर निगम अयोध्या - अयोध्या		
वार्ड	वार्ड नाम	प्रस्तावित आरक्षण
1	अभिराम दास	अनारक्षित
2	पुरुषोत्तम नगर	अनु जाति महिला
3	झलकारी बाई	अनु जाति महिला
4	दर्शननगर	अनु जाति महिला
5	अवैयनाथ	अनु जाति
6	श्यामाप्रसादमुखर्जी	अनु जाति
7	चैधरीचरण सिंह	अनु जाति
8	कौशलपुरी	अनु जाति
9	शिवनगर	अनु जाति
10	लालालाजपतराय नगर	अनु जाति
11	कृष्णानगर	पिछड़ा वर्ग
12	परमहंसरामचन्द्र दास	पिछड़ा वर्ग
13	आचार्य नरेन्द्र देव	अनारक्षित
14	कर्पुरी ठाकुर	अनारक्षित
15	सावरकर नगर	अनारक्षित
16	महाराणा प्रताप	पिछड़ा वर्ग महिला
17	पं०दीन दयालनगर	अनारक्षित
18	वशिष्ठकुण्ड	पिछड़ा वर्ग महिला
19	सीताकुण्ड	पिछड़ा वर्ग
20	सन्तरविदासनगर	अनारक्षित
21	हनुमानकुण्ड	महिला
22	सरदारभगत सिंह	अनारक्षित
23	सरदारपटेलनगर	पिछड़ा वर्ग महिला
24	चित्रगुप्तनगर	पिछड़ा वर्ग
25	अटलनगर	अनारक्षित
26	जनौरा	अनारक्षित
27	हनुमतनगर	पिछड़ा वर्ग
28	अशनीपुरम	पिछड़ा वर्ग
29	अशफाँकठल्ला खाँ	अनारक्षित
30	दशरथकुण्ड	पिछड़ा वर्ग महिला
31	देवकाली	अनारक्षित
32	कबीरनगर	अनारक्षित
33	साकेतनगर	महिला
34	निषादराज नगर	महिला
35	अम्बेडकरनगर	पिछड़ा वर्ग
36	अवधपुरी	अनारक्षित
37	कल्याण सिंह	अनारक्षित
38	बड़ी देवकाली	पिछड़ा वर्ग
39	अमानीगंज	पिछड़ा वर्ग महिला
40	महात्मा गांधी	महिला
41	राममनोहर लोहिया	अनारक्षित
42	विक्रमादित्य नगर	महिला
43	शहीद अब्दूलहमीद	अनारक्षित
44	जय प्रकाशनरायण	अनारक्षित

(सुनीत कुमार चौधरी)  
दिशेष नाम :  
नगर निगम विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार

45	रामकोट	अनारक्षित
46	पाटेश्वरीनगर	महिला
47	झारखण्डी	अनारक्षित
48	लक्ष्मी सागरनगर	अनारक्षित
49	मगंलपाण्डेय	पिछड़ा वर्ग
50	शिवाजीनगर	पिछड़ा वर्ग महिला
51	अशोक सिंघल नगर	अनारक्षित
52	लक्ष्मण घाट	महिला
53	चन्द्रशेखरनगर	अनारक्षित
54	अग्रसेननगर	महिला
55	मणिरामदास छावनी	महिला
56	सुभाशचन्द्र बोस	पिछड़ा वर्ग
57	चन्द्रगुप्तनगर	अनारक्षित
58	नानकपुरा	महिला
59	झुलेलालनगर	अनारक्षित
60	स्वामी विवेकानन्द	अनारक्षित

(M)

(सुनील कुमार चौधरी)  
विशेष समिति  
नगर विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन